

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No. 622/26-52103160 (21062110) 2015

Dated 03-10-2015

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that **2.250 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction of Motor Road from Km 4 of Gawana motor road to Surari village of block Khirshu in Pauri** district falls with in jurisdiction of **Pokhri, Rampur** village (s) in **Srinagar** tehsils.

It is further certified that :

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.250 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **Annexure 1 to Annexure 2**.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it,
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector Garhwal

District Collector

Garhwal

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No. 628/26-92110 31/10/2015Dated 03-10-2015**TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ("FRA", for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is Certified that **2.250 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Construction of Motor Road from Km 4 of Gawana motor road to Surari village of block Khirshu in Pauri district** falls with in jurisdiction of **Pokhri, Rampur** village (s) in **Srinagar** tehsils.

- (a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.250 hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as **annexure 01 To annexure 02**
- (b) The proposals for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each Concerned Gram Sabha of forest-dwellers who are eligible under the FRA
- (c) The each of Concerned Gram Sabha (s), has Certified that all formalities/ processes under the FRA have been Carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any having understood the propose and details of proposed diversion. A copy of Certificate issued by the Gram Sabha of **Pokhri, Rampur** villages is enclosed as annexure 01 to annexure 02
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when their was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabha have given their Consent to it.
- (f) The rights of primitive drivel groups and Pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl: As above.


(Chandra Shekhar Bhatt)

District Collector Garhwal

DM/Collector
Garhwal


It is further Certified that minutes of meeting of Construction of Motor Road from Km 4 of Gawana motor road to Surari village of block Khirshu in Pauri Distirct regarding FRA is as following

Sl. No.		Remarks
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 2.250 hectares area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the fores rights committee (s), Sub Division Level Committee (s) are enclosed as annexure.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Deviation of Forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram sabhas have been given consent to it.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection Certificate concerned villages Pokhri, Rampur regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive tribal groups and preagricultural Communities.	Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.


Member District Bord
Pauri Garhwal


District Social Welfare Officer
Pauri Garhwal


Divisional Forest Officer
Pauri Garhwal


Executive Engineer
निर्माण सहायक जे० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


District Collector Garhwal
District Collector
Garhwal

दिनांक 03-10-2015 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम-2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :-

1. सर्व श्री चन्द्रशेखर भट्ट	जिलाधिकारी, गढ़वाल	अध्यक्ष।
2. श्री एल0एस0 रावत,	प्रभागीय वनाधिकारी सि0 एवं सो0 वन प्रभाग पौड़ी	सदस्य।
3. श्री रतन सिंह रावल,	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
4. श्री प्रकाश बुटोला	जिला पंचायत सदस्य, खिसू	सदस्य।

बताया गया है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिसू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्ग हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुये निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्ग का विवरण निम्नवत है :-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिसू में गवाणा मोटर मार्ग के कि0मी0 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण :- इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व निर्मित रामपुर गवाणा मोटर मार्ग के ग्राम गवाणा नामक स्थान से आरम्भ होता है एवं ग्राम सुराड़ी की सीमा में समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 7.00 कि0मी0 है। किन्तु मोटर मार्ग की लम्बाई 6.125 कि0मी0 में सुराड़ी गांव तक पूर्ण हो रहा है। इस मार्ग में 2500.00 मी0 सिविल भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण से प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से ग्राम गवाणा, मंगलाकोटी, पोखरी एवं सुराड़ी की कुल 675 जनसंख्या लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है, और ना ही प्रस्तावित है।

ठायी प्रति प्रमाणित


(Signature)
सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लो०नि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त खिर्सू ब्लाक में जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु प्रस्तावित आरक्षित भूमि 2.250 हे० लो०नि०वि० को उपखण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।


(चन्द्रशेखर भट्ट)
आई०ए०एस०
जिलाधिकारी गढ़वाल
गढ़वाल(पौड़ी)


कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर


पत्रांक 2685 / 28सी०

दिनांक 07/10/15

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

जया प्रति प्रमाणित


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
श्रीनगर गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड, खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, श्रीनगर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, श्रीनगर

उपखण्ड उपवनप्रभाग पौड़ी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड, खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि 2.250 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.250 हे० वन भूमि) का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील श्रीनगर) की दि० 15.07.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण


अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री रज्जा अब्बास उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गया। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


- | | | | | |
|----|--------------------|---------------------------------|----------|-------------|
| 1- | श्री रज्जा अब्बास | उपजिलाधिकारी | श्रीनगर | अध्यक्ष |
| 2- | श्री दिनेश गिरि | उप प्रभागीय वनाधिकारी | पौड़ी | सदस्य |
| 3- | श्री रज्जु के. लाल | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | खिर्सू | सदस्य/साचिव |
| 4- | श्री मदन लाल राणा | बी०डी०सी० क्षेत्र/ग्रा०प०वि० अ० | पोखरी-च० | सदस्य |

उपखण्ड साचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुये उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड, खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु शून्य हे० आरक्षित वन भूमि 2.250 हे० सिविल भूमि का लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।


बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पौड़ी गढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड, खिरसू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुसड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु २.२५० हे० सिविल एवं सोयम भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।



उप प्रशास्तीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
पौड़ी (गढ़वाल)



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- श्रीनगर जिलाधिकारी
जनपद- पौड़ी गढ़वाल


प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
विकास खण्ड- खिरसू
गढ़वाल


पार्वती देवी
ग्राम पंचायत सदस्य
20 फेब्रु (ब०)


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- श्रीनगर जिलाधिकारी
जनपद- पौड़ी गढ़वाल


प्र० सा० प्र० क० म०

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड, खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पोखरी
तहसील श्रीनगर जिला पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र श्रीनगर के विकास खण्ड, खिर्सू में गवाणा मोटर मार्ग के कि०मी० 4 से सुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि, २:२५० हे० सिविल सोयम भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल २:२५० हे० वन भूमि का लो०नि०वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पोखरी द्वारा दि० १५-०७-२०१५ को सम्मन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, २००६ के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गवाणा, पोखरी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो०नि०वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत पोखरी अधिकारी
विकास खण्ड- खिर्सू
गढ़वाल

पार्वती देवी
क्षेत्र पंचायत सदस्य
२० पौ. (ब०)



नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।



दिनांक 15.07.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत प्राचर

[illegible]

पार्वती देवी

